न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/58/2016

उनवान

1. सत्यप्रकाश पिता जगदीश ब्राह्मण निवासी आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा
2. राधेश्याम पिता जगदीश ब्राह्मण निवासी आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा
3. लालीदेवी पत्नी जगदीश ब्राह्मण निवासी आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा
4. राधा पत्नी कल्याण जाट निवासी आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. कैलाश पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा
2. राजेश पिता बंशीलाल ब्राह्मण निवासी आकोला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के

प्रकरण संख्या 122/2015 निर्णय दिनांक 03.12.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री जयकुमार जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या1,2

निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 20.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो जैर कार्यवाही है। अपीलार्थीगण /विपक्षीगण का सजरा निम्नानुसार है–

मोहनलाल पिता घीसूलाल

बंशीलाल–प्र01 जगदीशचन्द्र प्र02

कैलाश–वा01 राजेश–वा02

2. ग्राम आकोला तहसील कोटड़ी में प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात खाता संख्या 154 में आराजी नम्बर 572 रकबा 14 बिस्वा, आ0नं0 576 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा, आ0नं0 1033 रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 3065 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आ0नं0 3078 रकबा 1 बीघा , आ0नं0 3079 रकबा 06 बिस्वा, आ0नं0 3095 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आ0नं0 3097 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा, आ0नं0 3098 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आ0नं0 3099 रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 3100 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आ0नं0 3101 रकबा 18 बिस्वा, आ0नं0 3104 रकबा 18 बिस्वा, आ0नं0 3583 रकबा 04 बिस्वा गेमू0, आ0नं0 3585 रकबा 05 बिस्वा, आ0नं0 3586 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा, आ0नं0 3587 रकबा 06 बिस्वा, आ0नं0 3588/2 रकबा 16 बीधा, आ0नं0 3598मी रकबा 28 बीघा, आ0नं0 3589 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, आ0नं0 3590 रकबा 04 बिस्वा कुल कीता 21 कुल रकबा 83 बीघा 14 बिस्वा खाता संख्या 75 में आ0नं0 1635 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा में 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण के दादा एवं शेष हक हिस्सा छीतर, दयाराम,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रामलाल, नाथी, पानी , रूपा का है। प्रार्थना पत्र की कलम सं0 3 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी जायदाद है।प्रार्थीगण स्व0 मोहनलाल जी के हिन्दु विधिअनुसार प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है इसलिए प्रार्थीगण का उक्त पुश्तैनी जायदाद में हक हिस्सा निहीत है।

3. विपक्षी संख्या 1 व 2 सगे भाई होकर आपसी कुसंयोजन कर सम्पूर्ण पुश्तैनी कृषि भूमि का नामान्तरकरण विरासत से प्रार्थीगण के दादा स्व0 मोहनलाल जी की एवं दादी गटुबाई की मृत्यु के पश्चात राजस्व अधिकारियों से मिलकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम विरासत से खोल दिया। प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा है। प्रार्थीगण हक हिस्से पर काबिज हो भुगत भोग करते चले आ रहे हैं। विपक्षी सं0 2 ने राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज कर फायदा उठाकर प्रार्थीगण को वंचित रखने के लिए विवादित आराजीयात नं0 1635 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा में अपना 1/4 हक हिस्सा विपक्षी सं0 3 को अवैध रूप से दिनांक 04.06.2005 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया जो प्रार्थीगण के हितों क`विपरीत होकर विधिवत शून्य प्रभावी है।

4. दिनांक 12.06.2005 को विपक्षी संख्या 1 व 2 को विवादित भूमि में से प्रत्येक को 1/6 अर्थात 2/6 हिस्से पर खातेदार अंकित करने एवं मौके पर बटवाड़ा करने को कहा तो इन्कार हो गये एवं विपक्षी संख्या 2 ने कहा कि उक्त भूमि में से आ0नं0 1685 में से अपना हक हिस्सा विपक्षी संख्या 3 को हस्तान्तरित कर पंजीयन करा दिया। विपक्षीगण ने धमकी दी की प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से पर काश्त नहीं करने देगें एवं राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन करायेगें एवं शेष रही भूमि को भी हस्तान्तरित करायेगें। विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने राजस्व अभिलेखों में हस्तान्तरण नहीं करने बाबत अस्थाई निषधाज्ञा जारी करना न्याय संगत है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अतः प्रार्थना है कि कलम संख्या 3 में वर्णित पुश्तैनी आराजीयात में प्रार्थीगण को 1/6, 1/6 अर्थात 2/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को मीट्स एण्ड बॉण्ड्स के आधार पर बटवाड़ा किया जावे। विपक्षीगण प्रार्थीगण को कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नहीं करे एवं प्रार्थीगण को फसल काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्ध जारी करायी जावे।

6. वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के स्व0 पिता बंशीलाल पिता मोहनलाल के द्वारा श्री जगदीशचन्द्र पिता मोहनलाल, बालीबाई, देउबाई पुत्री मोहनलाल के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर माण्डलगढ में वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 70/91 थे जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.02.1999 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया कि वह(बंशीलाल) लक्ष्मीलाल का गोदपुत्र है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं हुआ। उक्त आदेश के विरूद्ध बंशीलाल के द्वारा माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 23/99 को अपने आदेश दिनांक 30.12.1999 से खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.1999 को यथावत रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध बंशीलाल के द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई इस प्रकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ का आदेश दिनांक 17.02.1999 प्रभावी है।

पुनःप्रार्थीगण ने अपने पिता बंशीलाल एवं जगदीशचन्द्र व राधा पत्नि कल्याणबाई जाट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तथा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2005 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 के तहत प्रस्तुत किया जिस पर बिना विशिष्ट आदेश पारित किए ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 पर सुनवाई करते हुए दिनांक 16.03.2006 को खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 2889/2006 प्रस्तुत की गई जिसें दिनांक 09.09.2015 को स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.03.2006 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनो पक्षों की बहस सुनकर निर्णय पारित किया जावे।

7. प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में पुनः दिनांक 26.10.2015 को दायर कर पक्षकारान को सूचना पत्र सुनवाई हेतु जारी करते हुए उभयपक्ष की बहस उपरान्त प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी का दिनांक 03.12.2015 को स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना ही प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भारी भूल की है जो काबिल निरस्ती के है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्टगण के पिता स्व0 बंशीलाल जी लक्ष्मीलाल जी के यहां जाति रस्म रिवाज अनुसार गोद चले गये हैं। श्री लक्ष्मीलाल के विरूद्ध लावारिस की कार्यवाही की गयी उसमें बंशीलाल ने लक्ष्मीलाल का गोदपुत्र होना बताते हुए उजरदारी पेश की जो सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये बंशीलाल को लक्ष्मीलाल का गोदपुत्र मानते हुये लावारिस की कार्यवाही समाप्त की गई। इस प्रकार बंशीलाल के लक्ष्मीलालजी के विधिवत गोदपुत्र होने से उनका अपने जायन्दा पिता की सम्पदाओं में निहित समस्त हक व अधिकार स्वतः कानूनन समाप्त हो जाते हैं । यह निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थीगण बंशीलाल के ही पुत्र होकर शामिल शरीक रहते चले आ रहे हैं। वाद भी विवादित आराजीयात मोहनलाल की होना बताकर प्रस्तुत किया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दू को नजर अन्दाज कर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने में भारी भूल की है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के पिता बंशीलाल ने भी इन्ही आराजीयात के सम्बन्ध में एक वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत अपीलान्ट संख्या 1 से 3 के पिता एवं पति जगदीशचन्द्र आदि के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के यहां प्रस्तुत किया। कोटड़ी तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षैत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को हस्तान्तरित करने से उक्त प्रकरण वहां हस्तान्तरित किया गया जिसके वाद संख्या 25/04 कायम हो दिनांक 07.04.2005 को खारिज किया गया। उक्त वादपत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 70/91 कायम हुये जिसे सहायक कलक्टर माण्डलगढ द्वारा दिनांक 17.02.1999 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध विधिवत सक्षम न्यायालयों में अपीलें प्रस्तुत की गई जिन्हें विधिवत सुनवाई के पश्चात खारिज की गयी । इसके बावजूद उक्त तथ्यों को छुपाकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में भारी विधिक भूल की है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विवादित आराजीयात वर्तमान में अपीलान्टगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हो अपीलान्ट का ही कब्जा चला आ रहा है । उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टगण एवं इनके पिता बंशीलाल का कभी कब्जा नहीं रहा है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने में विधिक भूल की है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के पिता एवं 3 के पति स्व0 श्री जगदीश चन्द्र के हक में स्व0 मोहनलाल जी ने अपने समस्त सम्पदाएं विधिवत दिनांक 10.02.1983 को वसीयत कर दिए जाने से वादोक्त आराजीयात में जगदीश चन्द्र हक हिस्सेदार होने से उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलाण्टगण वारिस होने अधिकारी होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
गीलवाड़ा

रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावें।

14. रेस्पोडेन्टगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2के पिता स्व0बंशीलालजी मोहनलालजी के पुत्र होने से उनके हिस्से की आराजीयात में हक अधिकार रखने से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिवत सुनवाई के पश्चात जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे।

15. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थीगण का कथन है कि वादोक्त आराजीयात हमारी मौरूसी है जिसमें रेस्पोडेन्टगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेन्टगण के स्व0 पिता बंशीलाल जी स्व0 लक्ष्मीलालजी के गोद गए है। जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न बहनामा दिनांक 25.06.2005 से होती है। जिसमें श्री बंशीलाल मु0 लक्ष्मीलाल ब्राह्मण के द्वारा दुर्गादेवी पत्नि जानकीलाल व्यास(ब्राह्मण) अंकित है। इसी प्रकार स्व0 मोहनलाल के द्वारा दिनांक 10.02.1983 को जगदीशचन्द्र के पक्ष में वसीयतनामा पंजीयन कराया जिसमें स्पष्ट अंकित है कि मेरे दो पुत्र बंशीलाल व जगदीशचन्द्र है। इसमें से बंशीलाल मेरे भाई लक्ष्मीलाल जी के गोद चले जाने से मेरी हक हिस्से की समस्त जायदाद में जगदीशचन्द्र का ही अधिकार है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि बंशीलाल मोहनलाल जी के जीवन काल में ही गोद चला गया और स्व0 लक्ष्मीलालजी की जायदाद में बंशीलाल का नाम भी दर्ज हो चुका है जो कि बहनामा दिनांक 25.06.2005 से स्पष्ट होता है। अधिनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में पूर्व में दर्ज 212 के प्रार्थनापत्र संख्या 70/91 निर्णय दिनांक 17.02.1999 से खारिज किया जिसे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में चुनौती दी गई। राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा ने भी अपने प्रकरण संख्या 23/99 आदेश दिनांक 30.12.1999 से अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा। उक्त आदेश के पृष्ठ संख्या 7 में पेरा 6 के अन्त में अंकित है कि मोहनलाल की मृत्योपरान्त पटवारी हल्का ने दिनांक 20.02.1984 को नामान्तरकरण विरासत का खोला उसमें स्पष्ट अंकित किया कि श्री बंशीलाल जी लक्ष्मीलाल के गोद चले गए जिनका रिकॉर्ड में अंकन हो चुका है। ऐसी स्थिति में वादोक्त आराजीयात में रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 जो कि स्व0 बंशीलाल के पुत्र है जिससे उन्हें किसी प्रकार से हक प्राप्त नहीं हो सकते है।

16. ग्राम आकोला के खाता संख्या 154 में अंकित आराजीयात कीता 21 कुल रकबा 83 बीघा 14 बिस्वा भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 में मोहनलाल पिता घीसूलाल की मृत्यु के पश्चात खाता नामान्तरकरण संख्या 1368 से जगदीश चन्द्र पिता मोहनलाल ब्राह्मण सा0देह का नाम खातेदार के रूप में दर्ज हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादोक्त आराजी के सम्बन्ध में विरोधाभाषी आदेश पारित किए हैं अर्थात दिनांक 17.02.1999 को प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का खारिज किया और प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा प्रतिप्रेषित किए जाने पर पुनः सुनवाई करते हुए इन्ही प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जबकि वादग्रस्त आराजी स्व0 जगदीशचन्द्र पिता मोहनलाल ब्राह्मण के नाम दर्ज थी जो अपीलाण्ट सं0 1, 2 के पिता व 3 के पति होने से मृत्यु पश्चात अपीलाण्टगण ही विधिक वारिस होने से इनका हक अधिकार प्रथम दृष्टया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतीत होता है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा घोषणा का होने तथा विवादित आराजीयात पुश्तैनी होना मान कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने से अप्रार्थीगण द्वारा इसे खुर्द बुर्द किये जाने की अत्यधिक सम्भावना मान कर प्रथम दृष्टया प्रकरण माना है, तथा इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होना तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में जाहिर होना निष्कर्षित करअपीलाधीन आदेश पारितकिया है। मेरा विनम्र अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय में तीनों ही बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन का अभाव है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि विवादित आराजीयात बाबत पूर्व में प्रार्थीगण के पिता बंशीलाल द्वारा प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत जारी न्यायालय निर्णयों का समावेश अपनेविवेचन में करते। तत्समय भी अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी जिस बाबत प्रकरण का विस्तृत विवेचन अधिनस्थ न्यायालय व राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। परन्तु बिना विस्तृत विवेचन के घोषणात्मक वाद में पुश्तैनी आराजीयात होना प्रतिपादित कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। उपलब्ध दस्तावेजात व पूर्व न्यायालय निर्णयों से स्पष्ट होता है कि मृतक देवीलाल के दो पुत्र नवलराम व घीसूलाल थे। घीसूलाल के एक पुत्र मोहनलाल था जिसके दो पुत्र बंशीलाल व जगदीश थे। नवलराम के एक पुत्र लक्ष्मीलाल होना व लक्ष्मीलाल की आराजीयात बंशीलाल पुत्र मोहनलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना प्रथम दृष्टया प्रकट है। ऐसे में बंशीलाल व उनके वारिसान मृतक लक्ष्मीलाल वल्द नवलराम की आराजीयात में दर्ज रिकॉर्ड होने से मोहनलाल की खातेदारी अधिकार की भूमि में किस प्रकार अनुतोष के अधिकारी है, यह साबित होने पर ही प्रथम दृष्टया प्रकरण माना जा सकेगा। इस क्रम में अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में संलग्न भूप्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.12.1999 का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थीगण के पिता बंशीलाल द्वारा विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में ही अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने बाबतत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विस्तृत विवेचन किया गया है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट का नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है, आया वादी लक्ष्मीलाल के गोद गया या नहीं, आया विवादित सम्पत्ति पैतृक है या श्री मोहनलाल की स्वअर्जित सभी तथ्यों का निस्तारण मूल वाद में होना है। अप्रार्थी के भूमि पर काबिज होने का तथ्य भी पुष्ट है। वसीयतनामा श्री मोहनलाल द्वारा दिनांक 10.02.1983 को पंजीकृत कराया गया जिसे 12.02.1983 को पंजीकृत किया गया को कहीं सिविल न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया गया साथ ही श्री मोहनलाल की मृत्योपरान्त पटवारी हल्का ने दिनांक 20.02.1984 को नामान्तरकरण विरासत का खोला उसमें स्पष्ट अंकित किया किश्री बंशीलाल जी लक्ष्मीलाल के गोद चले गए जिसका रिकॉर्ड में अंकन हो चुका है इसलिए उनका नाम इस विरासत में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही इसी नामान्तरकरण शीट पर प्रतिवेदित किया गया कि श्री जगदीशचन्द्र ने विकासपंचायत में श्री बंशीलाल जी का इस आशय का सहमति प्रार्थनापत्र पेश किया है जो चस्पा है के आधार पर ग्राम पंचायत ने विरासत का नामान्तरकरण दि0 18.04.1984 को श्री जगदीशचन्द्र के नाम पर प्रमाणित किया गया, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरकरण से स्पष्ट है, साथ ही श्री बंशीलाल की श्री जगदीशचन्द्र के प्रार्थनापत्र के वास्ते सरपंच ग्राम पंचायत आकोला में कि श्री मोहनलाल जी का देहावसान 29.01.1984 को हो गया उनके दो लड़के है उनमे से बडे लड़के श्री बंशीलाल जी काकाजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लक्ष्मीलालजी के गोद चले गये हैं। उक्त तथ्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्री बंशीलाल की लिखित सहमति है'' मेरे पिताजी की जायदाद का खाता भाई श्री जगदीशचन्द्र कोतावत के नाम खोलने में मैं सहमत हूं। अतः खाता खोलने का श्रम करावें।'' इस प्रकार बंशीलाल के द्वारा उक्त नामान्तरकरण की कोई सन्1984 से अपील नहीं की गई है, अप्रार्थी के भूमि पर काबिज होने का खण्डन भी नहीं किया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत ठहरता है। इस प्रकार प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 प्रथम दृष्टया प्रकरण को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है।

17. ग्राम आकोला के खाता संख्या 154 में अंकित आराजीयात कीता 21 कुल रकबा 83 बीघा 14 बिस्वा भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 में भूमि स्व0 जगदीशचन्द्र पिता मोहनलाल के नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु के पश्चात अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 जगदीशचन्द्र के विधिक वारिस होने से उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। 75 में दर्ज आ0नं0 1635 में स्व0 जगदीशचन्द्र का 1/4 हिस्सा है जिसे जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 04.06.2005 से अपीलाण्ट संख्या 4 को विक्रय से हस्तान्तरित की जा चुकी है और उक्त विक्रय दिनांक से अपीलाण्ट सं0 4 उक्त भूमि पर काबिज हो काश्त करती आ रही है। उपरोक्त वादोक्त आराजीयात में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने कब्जे काश्त को किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कराया है जबकि अपीलाण्टगण ने स्व0 जगदीशचन्द्र के खातेदारी भूमि में हक अधिकार होना सिद्ध कराया है इससे इन्ही का कब्जा काश्त माना जाता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण ही प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का सिद्ध नहीं है ऐसी स्थिति में सुविधा सन्तुलन भी इनके पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18. प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजीयात पुश्तैनी होने से 2/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बटवाड़ा किया जावे तथा विपक्षीगण प्रार्थीगण को कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे राजस्व अभिलेख में परिवर्तन नहीं करे एवं फसल काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय में 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है जिसमें खातेदारी अधिकार निर्धारित होगें । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्व0 बंशीलाल के लक्ष्मीलाल के गोद पुत्र होने सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में संलग्न होते हुए उन पर किसी प्रकार का मनन किए बगैर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के पक्ष में चाहे गए अनुतोष से अधिक अनुतोष अर्थात वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय से या अन्य विधि से किसी को हस्तान्तरण/रहन नहीं करने का अनुतोष दिया जो विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में साबित नहीं है।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम आकोला के खाता संख्या 154 में अंकित आराजीयात कीता 21 कुल रकबा 83 बीघा 14 बिस्वा व खाता संख्या 75 में दर्ज आराजी नम्बर 1635 में 1/4 हिस्से पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका में पारित आदेश दिनांक 03.12.2015 को खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष इस स्तर पर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

20. निर्णय आज दिनांक 20.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा